न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं.–131/2016

–:: अनवान ::–

1.नीरज पुत्र महावीरप्रसाद जाति बैरागी नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता सुमन पत्नि महावीरप्रसाद जाति बैरागी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1.बाधुदेवी पत्नि स्व0 सोहनदास जा.बैरागी साकिन सोमासर
2.कृष्णलाल
3.कलावती
4.कौश्लया
5.महावीर
6.औमप्रकाश

पुत्री/पुत्रीयान स्व0 सोहनदास जाति बैरागी साकिनान सोमासर तहसील सूरतगढ़

7.तहसीलदार सूरतगढ़
8.उप पंजीयक, सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः–1.श्री लेखराज देरासरी प्रार्थी
2.श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1–5–6
3.अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 (एकतरफा कार्यवाही दि0 16.03.2017)
4.तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–07.01.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थनाा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा सोहनदास पुत्र जेठादास जाति बैरागी के नाम रोही मौजा प्रभातनगर के खसरा नं0 224/2.530 है0, 228/8.374 है0 बारानी में से 1/2 हिस्सा यानि 4.187 है0 बारनी, 230/5.060 है0, 227/2.315 है0, 230/5.275 है0 कुल 7.590 है0 में से 1/2 हिस्सा यानि 3.795 है0 बारानी भूमि कुल भूमि 15.572 है0 बारानी खातेदारी, दस साला आवंटन व पुख्ता आवंटन दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 उनके जायज वारिसान है। प्रार्थी के दादा सोहनदास की मृत्यु के बाद उनके नाम से अंकित भूमि, जो हिन्दू सहदायिक सम्पति की श्रेणी में आती है, में हिन्दू विधि के अनुसार प्रत्येक वारिस का उसके जन्म के साथ ही हित निहित है। प्रार्थी के दादा की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी अपने पिता महावीरप्रसाद के 1/6 हिस्सा में से अपना 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाना चाहता है, जिसका वह कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी के पिता प्रार्थी व प्रार्थी की माता सुमन के भरण–पोषण करने एवं अन्य पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में लापरवाह है व प्रार्थी के दादा की नाम की उक्त भूमि में से अपना हिस्सा बेचना चाहते है। प्रार्थी के पिता ने धमकी दी है कि वह जैरवाद भूमि में से प्रार्थी का हिस्सा नही देगें तथा भूमि का बेचान, हस्तातंरण किसी अन्य को कर देगें। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये अप्रार्थी सं0 1 ता 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि जैरप्रकरण रकबा का किसी प्रकार से रहन बैय या अन्य हस्तान्तरण नही करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी को एकतरफा सुना जाकर दिनांक 14.06.2016 को अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा प्रश्नगत रकबा में से 1/6 हिस्सा में प्रार्थी के 1/3 हिस्सा की भूमि का रहन बैय ना करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी सं. 2 ता 4-7-8 बावजूद सूचना हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1-5-6 ने जरिये वकील उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत कर निवदेन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 व 5 के साथ ही रहता है। प्रार्थी की माता अप्रार्थी संख्या 5 का घर नही बसाना चाहती है वह अपने पीहर के असामाजिक लोगों के कहने पर यह दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का पालन पोषण अप्रार्थी संख्या 5 कर रहा है। प्रार्थी को मोहरा बनाकर प्रार्थी की माता लड़ना चाहती है। अप्रार्थीया सं0 1 ने उक्त रकबा पुख्ता आवंटन के पश्चात किश्तें की राशि स्वयं जमा करवाई है व उक्त रकबा को काश्त कर रही है। जैरप्रकरण रकबा में से अधिकतम रकबा खातेदारी है। गैर खातेदारी व टी0सी0 आवंटन रकबा को बेचान नही किया जा सकता है। प्रार्थी नीरज की ओर से कुदरतीबली माता सुमन ने दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी का पिता अप्रार्थी संख्या 5 जो कि प्रार्थी का पिता है तथा प्रार्थी का पालन पोषण कर रहा है। इस सम्बन्ध में सुमनदेवी ने दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने की स्वीकृति नही मांगी है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध विरूद्ध वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी 1-5-6 ने प्रार्थी को प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

5. हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार ग्राम प्रभातनगर खाता सं0 324 नया 302 पुराना के खसरा संख्या 228 में 8.374 है0 बारानी भूमि सोहनदास पुत्र जेठादास के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज रिकार्ड। शेष जैरप्रकरण रकबा दस साला आवंटन दर्ज रिकार्ड है। जब तक खातेदारी अधिकार प्रदान नही हो जाते है तब तक अप्रार्थीगण उक्त रकबा को रहन बैय नही कर सकते है, इसलिये उक्त रकबा के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित प्रतीत नही होती है। किन्तु खसरा संख्या 228 की 8.374 है0 बारानी भूमि प्रार्थी के दादा सोहनलाल पुत्र जेठादास के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त रकबा में प्रार्थी के पिता महावीर का 1/6 हिस्सा में से प्रार्थी के 1/3 हिस्सा को तक रहन बैय एवं हस्तातंरण नही करने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलियें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2016 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम प्रभातनगर खाता सं0 324 नया 302 पुराना के खसरा संख्या 228 में 8.374 है0 बारानी भूमि में सोहनदास पुत्र जेठादास के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि में से अप्रार्थी संख्या 5 महावीर 1/6 हिस्सा में से प्रार्थी के 1/3 हिस्सा को रहन बैय एवं हस्तातंरण नही करें व मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.27 16:12:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: